फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ जिला अलवर

.....सुनील.....बनाम.....सेतलाल.....

प्रकरण सं.....2/10/24..... तारीख रजू.....05.2.24.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
05.02.2024	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 अंतर्गत धारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र के सर्मथन में प्रार्थी ने अपना शपथ पत्र पेश किया व अप्रार्थीगण को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का निवेदन किया, वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। जिसमें वकील प्रार्थी ने प्रमुखतः यह कथन किया कि उक्त आराजी को रहन बय व मुंतकिल ना करे एवं मौके व रिकॉर्ड यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावें। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी ता0 पेशी तक पाबंद किया जाता है कि वो विवादित आराजी खसरा नं. 191/1, 950/191, वाके ग्राम गोविन्दगढ़ तह0 गोविन्दगढ़ में विधिपूर्वक बंटवारा कराये बिना किसी विशेष भू–भाग पर कोई निर्माण कार्य नही करें, और यह भी पाबंद किया जाता है कि कृषि भूमि पर निर्माण कार्य केवल विधि अनुकूल स्थिति अर्थात आराजी संपरिवर्तन के पश्चात ही किया जावें। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी हो कि उक्त आदेश की पालना में कोई उज्र हो तो दिनांक 29.02.2024 को असालतन/वकालतन उपस्थित होकर पेश करें, कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस रजि0 डाक से तलब हो, पत्रावली दिनांक 29.02.2024 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो। **उपखण्ड अधिकारी** **गोविन्दगढ़ (अलवर)**	

Form No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गोविन्दगढ़ जिला–अलवर

..........सुनीता..........बनाम..........मंगलाल..........

प्रकरण सं.......................... तारीख रजू..........................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
14.8.24	पत्रावली पेश। P.O. साहब......अन्य......है। ......कार्य में व्यस्त...... पत्रावली दिनांक......30.8.24......को पेश हो। [signature] रीडर	
30.8.24	पत्रावली पेश। P.O. साहब......अन्य......है। ......कार्य में व्यस्त...... पत्रावली दिनांक......04.9.24......को पेश हो। [signature] रीडर	
04.9.24	पत्रावली मूल वाद के साथ पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। वकील व उनके प्रार्थी को बार-बार आवाज दिलवायी गयी तथा साय 5:30 बजे तक इंतजार किया गया तथा पुनः आवाज लगवायी गई। इसके बावजूद वकील व उनके प्रार्थी उपस्थित नही आये। अतः प्रार्थना पत्र -212 अंतर्गत धारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को वकील प्रार्थी की अदम पैरवी -अदम हाजिरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०	